

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0006-नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, विपत्र कोड सं०- 48-2217800010006 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में कुल ₹22.53 लाख (बाईस लाख तिरेपन हजार रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0006-नगरपालिका प्रशासन निदेशालय, विपत्र कोड सं०- 48-2217800010006 के अन्तर्गत वेतनादि एवं अन्य विषय शीर्षों में तृतीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त कुल ₹22.53 लाख (बाईस लाख तिरेपन हजार रु०) मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	तृतीय अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त बजट उपबंध	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	0006.01.01- वेतन	15,52,000.00	15,52,000.00
2	0006.01.03- जीवन यापन भत्ता	3,49,000.00	3,49,000.00
3	0006.01.04- मकान किराया भत्ता	2,49,000.00	2,49,000.00
4	0006.01.05- परिवहन भत्ता	79,000.00	79,000.00
5	0006.01.06- चिकित्सा भत्ता	24,000.00	24,000.00
	योग	22,53,000.00	22,53,000.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹22.53 लाख (बाईस लाख तिरेपन हजार रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 4 में स्वीकृत राशि की निकासी, प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि का व्यय बिहार नगरपालिका प्रशासन

निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के वेतनादि एवं अन्य मदों पर किया जायेगा। उक्त राशि किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि, व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

3. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98, पत्रांक- 256, दिनांक- 26.02.2019, पत्रांक- 687, दिनांक- 19.07.2019 एवं पत्रांक- 331, दिनांक- 05.03.2020 (तृतीय अनुपूरक) के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसमें वित्त विभाग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है।

4. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०- 48-2217800010006 मांग सं०-48 मुख्यशीर्ष/उप मुख्यशीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक- 31.03.2020 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाय अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/बजट-14-12/14 के पृष्ठ सं०- 75 /टि० पर दिनांक- 13.3.20 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०- 75 /टि० पर दिनांक- 9.3.20 को प्राप्त है।

7. इस स्वीकृत्यादेश की प्रति योजना एवं विकास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन एवं निर्माण भवन, पटना को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/बजट-14-12/14 248 /न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक-14/3/2020

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन एवं निर्माण भवन, पटना/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के विशेष सचिव।